न्यूज गैलरी

जम्मू के प्लांवाला में पाकिस्तान ने की गोलाबारी

जम्मू : पाकिस्तानी सेना ने लगातार सातवें दिन बुधवार को भी जम्मू जिले के अखनूर के प्लांवाला में नत्थू टिब्बा क्षेत्र में भारी गोलाबारी की। इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है। राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी की तरफ से आए दिन गोलाबारी की जा रही है। बुधवार सुबह तीन बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई जो पांच बजे तक जारी रही। भारतीय चौकियों व रिहायशी क्षेत्रों में निशाना बनाया। एक सप्ताह से जारी गोलाबारी के कारण सीमावर्ती इलाकों में दहशत है। (राब्यू)

अयोध्या का पहला वाई-फाई पार्क होगा तुलसी उद्यान

अयोध्या : रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर रामनगरी अयोध्या में स्थापित तुलसी उद्यान के दिन भी बहुरेंगे। उद्यान को सुंदर बनाने के साथ यहां वाई-फाई की सुविधा भी होगी। यह पार्क अयोध्या जिले का पहला वाई-फाई (इंटरनेट सुविधा के लिए) पार्क होगा। सिर्फ यही नहीं पार्क में सुबह और शाम मानस की चौपाइयां भी गूंजेंगी। इसके लिए पार्क में म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा। ताकि स्वास्थ्य लाभ के साथ ही यहां आने वाले लोग रामचरितमानस का श्रवण भी कर सकें। अयोध्या में बनने जा रही साढ़े चार किलोमीटर स्मार्ट रोड के किनारे स्थित तुलसी उद्यान और उसके आसपास के इलाकों के सुंदरीकरण के लिए नगर आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ल ने सहमति दे दी है। (जासं)

डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर की पत्नी का लंदन में निधन

ब्यास (अमृतसर) : डेरा ब्यास राधा स्वामी के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की पत्नी शबनम ढिल्लों का बुधवार को लंदन में निधन हो गया। वह पेट की बीमारी का इलाज कराने लंदन के वेस्पोर्ड अस्पताल में दाखिल थीं। 24 नवंबर को ऑपरेशन के बाद से ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डेरा ब्यास के सूत्रों के अनुसार शबनम ढिल्लों का शव भारत लाया जा रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि अंतिम संस्कार कब होगा? पहले गुरुवार को डेरा ब्यास में अंतिम संस्कार की बात कही जा रही थी, लेकिन देर शाम तीन-चार दिन बाद अंतिम संस्कार की बात कही गई है। (जासं)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वृंदावन में

मथुरा : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को वृंदावन आ रहे हैं। वह यहां करीब चार घंटे रुककर विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सुबह 9.50 बजे हेलीकॉप्टर से वृंदावन के अक्षयपात्र स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। हेलीपैड पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। (जासं)

राज्यसभा की खाली सीट पर अरुण सिंह भाजपा प्रत्याशी

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी की तजीन फातमा के त्यागपत्र से खाली हुई इस सीट पर अरुण सिंह का निर्विरोध निर्वाचित होना निश्चित है। तजीन फातमा सपा नेता मोहम्मद आजम खां की पत्नी हैं। बीते छह माह के भीतर यह सपा के लिए चौथा बड़ा झटका होगा। राज्यसभा में सपा के 14 सदस्यों की संख्या घटकर अब मात्र दस रह गई है। इनमें बगावती तेवर अपनाए अमर सिंह भी शामिल हैं। (राब्यू)

चिन्मयानंद मामले में एसआइटी आज पेश करेगी जांच रिपोर्ट

शाहजहांपुर : चिन्मयानंद प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआइटी) गुरुवार को अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगा। इससे पहले टीम दो बार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ चिन्मयानंद के दुष्कर्म करने व चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के मामलों में छह नवंबर को जांच पूरी कर एसआइटी ने सीजेएम की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले एसआइटी ने 23 सितंबर को अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दी थी। उसके बाद 22 अक्टूबर को इस मामले में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 28 नवंबर को जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। (जासं)

जमीयत का अरशद मदनी गुट दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका

तैयारी ▶ कानून विशेषज्ञों ने तैयार किया ड्राफ्ट

दिसंबर के पहले सप्ताह में दाखिल की जा सकती है याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्ग से ही हो रहे विरोध के बाद भी जमीयत उलेमा-ए-हिंद का अरशद मदनी गुट पुनर्विचार याचिका के फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। जमीयत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी चल रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह में याचिका दायर की जा सकती है।

जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी बताया है कि उनके नेतृत्व में कानून विशेषज्ञों और उलेमाओं के पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था, जिसने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। पैनल का मानना है कि फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ है और संविधान के तहत उनके पास पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका का मकसद देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है। बल्कि वह इसलिए भी है क्योंकि सभी धर्म में काफी लोग ऐसे हैं, जिन्हें यह निर्णय समझ में नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर पर 9 नवंबर को फैसला आया था, जिस पर अरशद मदनी गुट ने 17 नवंबर को जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की थी। हालांकि, उसके इस फैसले से जमीयत का महमूद मदनी गुट, पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा इकबाल अंसारी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। महमूद मदनी ने तो इसमें नुकसान का अंदेशा जताते हुए सचेत किया है। दो दिन पहले 100 से अधिक मशहूर हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पुनर्विचार याचिका के निर्णय का विरोध किया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ऐसा सोचने वालों को देश के अमन के लिए खतरा बताया है।

> जमीयत जैसे इदारे वाले लोग देश में मोहब्बत और भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। मुसलमानों में ही भेद पैदा किए। शिक्षा और रोजगार की बात नहीं की, अब जबकि देश का मुसलमान फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया, एक पत्ता भी नहीं हिला, तो यह चाहते हैं कि नफरत बढ़े।
> **-यासिर जिलानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच**

> सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। ऐसे में मुख्य पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी ने फैसले को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। जमीयत तो इस मामले में पक्षकार नहीं है। ऐसे में उसके जाने का मामला ही नहीं बनता है।
> **आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद (विहिप)**

सुन्नी बोर्ड मना करेगा तो शिया वक्फ करेगा जमीन पर दावेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या में जमीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड में असमंजस की स्थिति को देखते हुए शिया वक्फ बोर्ड ने दावेदारी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। शिया वक्फ बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में तय किया गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड यदि किन्हीं कारणों से पांच एकड़ जमीन लेने से मना करता है तो वह इसके लिए दावेदारी करेगा। बोर्ड वहां पर एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव ला सकता है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कुल सात सदस्यों में से पांच उपस्थित हुए। सदस्यों को बताया गया कि 1946 में शिया वक्फ बोर्ड जो मुकदमा हारा था, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में 71 साल बाद की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील देरी से दाखिल करने के कारण खारिज कर दी थी।

बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बताया कि सभी का मानना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वह अंतिम है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का अंत राष्ट्रहित में है। इस कारण किसी भी तरह की पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है।

सोमनाथ मंदिर न्यास की तर्ज पर बने श्रीराम मंदिर का ट्रस्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▶ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह भी हो सकते हैं शामिल

▶ जल्द ही हो सकती है उच्चस्तरीय बैठक, निर्माण के कानूनी प्रावधान पर विचार

श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर श्रीकाशी विश्वनाथ की नगरी में बीते दो दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके अनुषांगिक संगठनों का मंथन हो रहा है। संघ के सर कार्यवाह सुरेश भय्याजी जोशी और सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में बैठकों का दौर जारी है। इसमें मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले न्यास का ब्लू प्रिंट बनाने के साथ निर्माण में आमजन की भागीदारी पर विचार हुआ। सूत्रों के अनुसार संघ की मंशा है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर न्यास की तर्ज पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नए ट्रस्ट का गठन हो, भले ही स्थायी सदस्यों की संख्या आठ से अधिक कर दी जाए। यह धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। इस नए ट्रस्ट में श्रीराम जन्मभूमि न्यास भी समाहित रहेगा। इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह सोमनाथ ट्रस्ट में भी सदस्य हैं। सोमनाथ ट्रस्ट में आठ सदस्य हैं। कानून मंत्रालय अदालत के फैसले का अध्ययन कर रहा है। समझा जा रहा है कि जल्द ही मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हो सकती है।

विश्वनाथ धाम की तरह कॉरिडोर : बैठक में सुझाव आया कि सरकार श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा कॉरिडोर अयोध्या में भी बना सकती है। इसके अलावा अयोध्या के पांच किमी क्षेत्र में सैकड़ों मठ-मंदिर हैं। यह भी ट्रस्ट के अधीन आ सकते हैं। इस दायरे में लक्ष्कुण्ड मंदिर, राम मंदिर, रंगमहल, राम कचेहरी, इमली बगिया, जगन्नाथ मंदिर, तुलसी मंदिर, सीता रसोई, कनक भवन, राम सिंहासन, हनुमान गढ़ी, मणि पर्वत, मोती महल, दशरथ भवन, नागेश्वरनाथ, विष्णु मंदिर आदि आते हैं। श्रीसोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए जानकारी दी गई कि वह ट्रस्ट करीब 10 किमी के दायरे में 42 मंदिरों का प्रबंध कार्य देखता है। ट्रस्ट की सालाना आय 40 करोड़ रुपये है। ट्रस्ट में 600 लोग काम करते हैं। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग-बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। बुधवार को सुबह बैठक से पहले सह सर कार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल के साथ संघ के पदाधिकारियों ने श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर का निरीक्षण किया।

रामनवमी तक निर्माण प्रारंभ की इच्छा : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से ट्रस्ट गठित करने की प्रक्रिया के बीच आरएसएस और विहिप अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। आरएसएस से जुड़े धर्माचार्यों की इच्छा है कि रामनवमी से मंदिर निर्माण शुरू हो जाए। संघ के सर कार्यवाह भय्याजी जोशी ने लोहता स्थित माधव सेवा प्रकल्प में बुधवार को दिन में काशी और अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। इसमें राम मंदिर निर्माण से आमजन को जोड़ने के लिए अभियान के बारे में पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए। गांव-गांव मंदिर पर चर्चा कर जन सुझाव लेने की बात भी कही गई।

कनकमला आइएस आतंकी मॉड्यूल के मुख्य आरोपित को 14 वर्ष कैद की सजा

कोच्चि, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने बुधवार को वर्ष 2016 में केरल व पड़ोसी प्रदेशों में आतंकी वारदातों की साजिश रचने के मुख्य आरोपित को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सोमवार को मुख्य आरोपित मनसीद महमूद समेत छह लोगों को आइपीसी की विभिन्न धाराओं व गैरकानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी पाया था। उन पर आतंकी संगठन का सदस्य होने और उसे सहयोग प्रदान करने का आरोप है। हालांकि, एक आरोपित जसीम एनके को बरी कर दिया गया। एनआइए ने सभी आरोपितों के खिलाफ कनकमला आतंकी मॉड्यूल मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी विशेष जज पी. कृष्ण कुमार ने दूसरे आरोपित स्वालीह मुहम्मद को 10 साल व तीसरे आरोपित राशिद अली को सात साल की सजा सुनाई। चौथे आरोपित रमशाद व आठवें मोईनुद्दीन को तीन-तीन साल, जबकि पांचवें सफवान को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

जज ने कहा कि आरोपित आइएस में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वह इस आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'उम्मीद करनी चाहिए कि इन युवाओं के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए। इन्होंने धर्म के नाम पर अपराध करने की भूल की है।'

उल्लेखनीय है कि एनआइए ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले में कनकमला आइएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। तब आरोपित जज, पुलिस अधिकारी व राजनीतिज्ञों समेत प्रमुख हस्तियों पर हमले का षड्यंत्र रच रहे थे। एनआइए थाने में आठ आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

केरल के कोच्चि में बुधवार पुलिस ने कनकमला आइएस आतंकी मॉड्यूल मामले के आरोपितों को अदालत में पेश किया। प्रेट्र

लोकायुक्त अधिनियम को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए समिति गठित

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ पांच सदस्यीय समिति 13 दिसंबर तक देगी अपनी रिपोर्ट

▶ समिति सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कामकाज का भी जायजा लेगी

जम्मू-कश्मीर में भी अब देश के अन्य राज्यों की तरह प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त होगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को जम्मू-कश्मीर में लागू करने की संभावना तलाशने के लिए उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के निर्देश पर पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। समिति 13 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। समिति सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कामकाज का भी जायजा लेगी।

उपराज्यपाल के निर्देशानुसार, महा प्रशासनिक विभाग ने समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक समिति की अध्यक्षता कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के सचिव करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, महाप्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव के अलावा कानून, न्याय और संसदीय मामलों विभाग के दो अधिकारी जो समिति अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे, इसके सदस्य होंगे। समिति भारतीय दंड संहिता के तहत केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में नौकरशाह, जनसेवक, सरकारी अधिकारी की परिभाषा से जुड़े मामलों का अध्ययन करेगी।

एहतियात आयोग के पास थे अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2018 को जम्मू कश्मीर समेत 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के लागू होने के पांच साल बीतने पर भी लोकायुक्त की नियुक्ति न करने पर दो सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा था। अलबत्ता, 10 जुलाई 2018 को तत्कालीन राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि जम्मू कश्मीर एहतियात आयोग-2002 के प्रावधान और जम्मू कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम-2011, का गठन राज्य कानून के तहत हुआ है। यह अधिनियम के तहत होने वाले कार्यों को पूरा करते हैं और उनके समान ही अधिकार व शक्तियां रखते हैं।

> **केंद्र शासित प्रदेशों में भी होता है लोकायुक्त**
> लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को एक जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। अधिनियम के तहत भारतीय गणराज्य के लिए लोकपाल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है।

छग में दो कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर के छापे, एक करोड़ की नकदी मिली

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के दो बड़े इस्पात कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में अब तक एक करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हो चुकी है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसमें कई छद्म कंपनियों का भी पर्दाफाश हुआ है। आयकर की एक टीम जांच के लिए कोलकाता भी भेजी गई है। आयकर की टीम ने दोनों कारोबारियों के करीब 40 ठिकानों पर मंगलवार को दबिश दी थी। इसमें 10 मकान और 30 कंपनी, दुकान और ऑफिस शामिल है। बुधवार को दूसरे दिन भी जांच जारी रही। अब तक की जांच में मिले दस्तावेजों में ज्यादातर लेन-देन नगद में होना पाया गया है। आयकर के अफसरों ने बताया कि बुधवार को एक स्थान पर जांच पूरी कर ली है।

सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में अलग-अलग बैंकों में चार लॉकरों की जानकारी मिली है। इन्हें अभी खोला नहीं गया है। आयकर सूत्रों ने बताया कि बड़े पैमाने पर सोना, चांदी और हीरा आदि के गहने मिले हैं। कारोबारी समूह से जुड़े सूत्रों के अनुसार जिस वक्त आयकर की टीम ने दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी उस वक्त उनमें से एक परिवार के सदस्य अस्पताल में थे। मंगलवार को ही इस परिवार की बहू ने बच्ची को जन्म दिया था। इस वजह से मंगलवार को डायरेक्टरों से पूछताछ नहीं हो सकी।

गुजरात में किशोर को ह्वाइटनर बेचने वाले दुकानदार पर केस

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▶ एक किशोर के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

गुजरात में एक स्टेशनरी दुकानदार को किशोरों को एक से ज्यादा संख्या में ह्वाइटनर बेचना महंगा पड़ गया। एक किशोर के पिता की शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अहमदाबाद के नवा नरोडा कृष्ण नगर निवासी एक व्यक्ति ने बापूनगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को जब वह घर पहुंचे तो कमरे में घुसते ही उनके बेटे ने अचानक एक कलम जैसी चीज फेंक दी। पूछने पर उसने बताया कि ह्वाइटनर सूंघे बिना उसे बेचैनी महसूस होती है। उसने यह भी बताया कि वह अक्सर बापूनगर इंडिया कॉलोनी के प्रकाश जनरल स्टोर से ह्वाइटनर खरीदता है। इस शिकायत पर पुलिस ने जब प्रकाश जनरल स्टोर में छापा मारा तो वहां बड़ी संख्या में ह्वाइटनर बरामद हुए। स्टोर मालिक शिव प्रकाश जोशी ने बताया कि उन्हें एक से अधिक ह्वाइटनर एक साथ बेचने पर पाबंदी संबंधी जानकारी नहीं थी।

पुलिस ने बताया कि दुकानदार के खिलाफ आइपीसी की धारा 284 (विषैला पदार्थ के प्रति लापरवाही) व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 25 (नाबालिग को मादक पदार्थ देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के बाद आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।

ह्वाइटनर एक रसायनिक तरल पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल दस्तावेजों में लिखी गई चीजों को छिपाने या मिटाने के लिए किया जाता है। जहां पर यह तरल पदार्थ लगा दिया जाता है वहां का कागज सफेद हो जाता है और उस पर कलम से लिखाई या टाइपिंग संभव हो जाती है। लेकिन, युवा और किशोर इसका इस्तेमाल मादक पदार्थ के रूप में भी करने लगे हैं।

कई वारदात में शामिल रहे इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

नईदुनिया, दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आगजनी और बम ब्लास्ट समेत कई नक्सली वारदात में शामिल रहे जनमिलिशिया कमांडर ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

किरंदुल थाना क्षेत्र के मलांगिर एरिया कमेटी में सक्रिय हड़मा बुधवार दोपहर एसपी कार्यालय में समर्पण करने पहुंचा। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव के अनुसार उसने स्वीकार किया है कि उसे नक्सली लीडर देवा ने 2007 में बाल संघम में भर्ती कराया था। नक्सली हेमला विनोद ने उसे जनमिलिशिया सदस्य और बाद में कमांडर बनाया। 13 अप्रैल 2015 को चोलनार सीआरपीएफ कैंप से निकली एंटी लैंड माइन व्हीकल को विस्फोट कर उड़ाने वाली वारदात में वह शामिल था। इस वारदात में पांच जवान शहीद और सात घायल हुए थे। 20 मई 2018 को चोलनार-पेरपा चौक पर पुलिस वाहन को विस्फोट कर उड़ाने में भी वह शामिल था।

रेलवे ने कहा-प्रदर्शनकारी दिव्यांग नौकरी के लिए रख रहे हैं अनुचित मांगें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे ने नियुक्तियों की मांग को लेकर दिल्ली में बार-बार धरना-प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगों से स्पष्ट कहा है कि उनकी मांगें अनुचित हैं। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि जो नियुक्तियां की गई हैं वो पूरी तरह नियमों के अनुसार हैं। रेलवे केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगा जिनमें दिव्यांगों ने गलती से खुद को किसी अन्य दिव्यांग श्रेणी में दर्शाया है। ऐसे मामलों पर वह सामाजिक न्याय मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य, कार्मिक मनोज पांडेय ने कहा कि दिव्यांग की ऐसी मांगें रख रहे हैं जिन्हें मौजूदा नियम-कायदों के तहत पूरा करना संभव नहीं है। मसलन, वे चाहते हैं कि उन्हें न्यूनतम प्राप्तांक से कम अंक मिलने के बावजूद नियुक्ति दे दी जाए, जो कि अनुचित है। कई दिव्यांगों ने न्यूनतम पात्रता अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरक्षित पदों की संख्या के अनुसार वे सबसे पहले नियुक्ति के पात्र हैं। प्रदर्शनकारियों की 184 शिकायतों में एक भी व्यक्ति नियुक्ति का पात्र नहीं निकला। रेलवे में भर्ती को लेकर दिव्यांगों ने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के मंडी हाउस के निकट दो बार धरना प्रदर्शन किया है। दिव्यांगों को मनाने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारी लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जो दिव्यांग दिल्ली धरना देने आए हैं उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।

ये लड़ाई पिछले वर्ष लेवल-1 (ग्रुप डी) में भर्ती के लिए निकाले गए 63 हजार पदों में दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर नियुक्ति को लेकर है। जिसके तहत कुल 2400 दिव्यांगों की भर्ती होनी थी। जिसमें दृष्टिबाधित 609, बधिर 614, आर्थोपीडिक 612 तथा बहु-दिव्यांगता श्रेणी में 611 रिक्तियां शामिल हैं। इनमें रेलवे अब तक 1021 दिव्यांगों की भर्ती कर चुका है।

> **रेलवे 119 स्थानों पर लगा रहा ऑटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट**
> **जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** स्टेशनों को स्वच्छ बनाने की मुहिम में कामयाबी मिलने के बाद रेलवे ने अब अपनी ट्रेनों को भी साफ-सुथरा रखने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इसके लिए स्टेशनों तथा वर्कशॉप पर ऑटोमैटिक कोच वाशिंग के प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। शुरू में 119 स्टेशनों पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे।
> रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि ऑटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट स्थापित करने की योजना के तहत अब तक 16 प्रमुख स्टेशनों व वर्कशॉप पर इस तरह के प्लांट लगाए जा चुके हैं। यहां हर गुजरने वाली ट्रेन को ऑटोमैटिक मशीनों के जरिये बाहर से धोया और चमकाया जाता है।

बिगड़ता मौसम

पहाड़ों पर बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश

रामबन में भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, हजारों वाहन फंसे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बढ़ी ठंड

जेएनएन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई है। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में हुए भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है और हजारों वाहन जगह-जगह फंस गए हैं। कश्मीर को पुंछ से जोड़ने वाला मुगल रोड और किश्तवाड़ को अनंतनाग से जोड़ने वाला सिंथनटॉप मार्ग पहले से बंद होने से कश्मीर का देश से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। श्रीनगर-लेह हाईवे भी बंद है।

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 27 नवंबर से अधिकांश इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बुधवार तड़के से ही गुलमर्ग समेत वादी के सभी उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गुलमर्ग में छह इंच, सोनमर्ग में आठ इंच, साधनाटॉप के निकट दो फीट और महागुंसटॉप में डेढ़ फीट ताजा बर्फ पड़ी। वहीं, श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, उधमपुर में तड़के शुरू हुई बारिश दिनभर जारी रही। गुलमर्ग, लेह और कारगिल का न्यूनतम तापमान क्रमशः माइनस 3.5, 7.3, और 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, कुपवाड़ा में सर्वाधिक 36.1 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

हाईवे बंद : जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बुधवार को छोटे वाहनों को दोनों तरफ से आने-जाने की अनुमति थी। दोपहर करीब एक बजे रामबन के मोमपस्सी इलाके में भारी बारिश से सड़क के एक बड़े हिस्से पर पहाड़ से चट्टानें खिसक कर नीचे आ गईं। हाईवे बंद होने पर अधिकारियों ने यातायात रोक दिया, जिससे कई स्थानों पर वाहन फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि मार्ग को यातायात योग्य बनाने के बाद पहले फंसे वाहनों को निकाला जाएगा। इधर, श्रीनगर-लेह हाईवे कई दिनों से यातायात के लिए बंद है। बुधवार को जोजिला दर्रे के निकट ताजा बर्फबारी से काम बंद हो गया है। वहीं मुगल रोड भी 7 नवंबर से यातायात के लिए बंद है।

हिमस्खलन का खतरा बरकरार : उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा और अधिक बढ़ गया गया है। मौसम विभाग ने बांडीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा, बड़गाम, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां व कुलगाम जिलों के ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पिओ में भारी बर्फबारी के बीच अपने गंतव्य की ओर जाते लोग। जागरण

हिमाचल के किन्नौर में 22 यात्री रेस्क्यू किए : हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम व अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शिमला के नारकंडा में सीजन का पहला हिमपात हुआ। किन्नौर जिले में पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहां 22 यात्रियों को बीआरओ, होमगार्ड व पुलिस क्यूआरटी की टीम ने रेस्क्यू किया। कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे, बारालाचा दर्रे, शिंकुला व कुंजम दर्रे में बर्फबारी हुई। मनाली-लेह, मनाली-जांस्कर व मनाली-काजा मार्ग बंद हैं। सोलंग, कोठी, पलचान, कुलंग व रुआड़ गांव तक बर्फबारी हुई।

वहीं, उत्तराखंड में चारधामों और औली के साथ ही ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होती रही। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब समेत कुमाऊं के पंचाचूली, मुनस्यारी व पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में तड़के बर्फबारी शुरू हो गई थी। उत्तरकाशी जिले में हर्षिल और सुक्की टॉप पर पूरे दिन रुक-रुककर बर्फबारी का दौर जारी रहा।

पटना एयरपोर्ट पर पौने दो घंटे खड़ा रहा गो-एयर का विमान

जागरण संवाददाता, पटना

पटना से दिल्ली जा रहा गो-एयर का विमान (फ्लाइट संख्या जी 8-2512) बुधवार को एसी में आई खराबी के कारण करीब पौने दो घंटे तक रनवे पर ही खड़ा रहा। इससे कई बुजुर्ग यात्री दम घुटने की शिकायत करने लगे। यात्रियों की शिकायत पर क्रू-मेम्बर ने विमान का दरवाजा खोला और दम घुटने की शिकायत करने वाले करीब दर्जनभर से अधिक यात्रियों को बाहर निकाल रनवे पर बैठाया। एक घंटे में विमान की खराबी को दूर किया गया तब जाकर यात्रियों को पुनः बैठाया जा सका।

इसी फ्लाइट से पत्नी के साथ दिल्ली जा रहे रामसागर सिंह ने बताया कि सारे पैसेंजर विमान में सवार हो गए थे। दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। अचानक एसी ने काम करना बंद कर दिया। बुजुर्ग यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। तब इसकी शिकायत क्रू-मेंबर से की गई। इसके बाद विमान का दरवाजा खोला गया और यात्रियों को बाहर रनवे पर ही उतारा गया।

> **बैग में मिले 14 कारतूस एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तार**
> पटना हवाई अड्डे पर बुधवार को सुरक्षा जांच के दौरान सीआइएसएफ ने एक यात्री के बैग से प्रतिबंधित बोर के 14 कारतूस बरामद किए। लगेज स्कैनिंग के दौरान उसके बैग में रखे कारतूसों पर सीआइएसएफ की नजर पड़ी। तत्काल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सीआइएसएफ की सूचना पर बाद में एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान सिवान जिले के पिनायू पंचायत के मुखिया के रूप में की गई है। उसका नाम मो. नेयामुल हक है। वह अपने भाई की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था। वहां से उसे आबूधाबी जाना था। नेयामुल के बैग से प्रतिबंधित बोर का कारतूस मिलने के बाद एयरपोर्ट पुलिस हरकत में आ गई।